

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख

मुकाम

हमीद खाँ

बनाम

ममदे खाँ

मुकदमा

नं.

59

सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
8-1-26	<p>पत्रावली पेशा इर्रा अग्रिघावतु अपीलान्त उपस्थित अग्रिघावतु अपीलान्त की कट्स सुनी इर्रा. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अच्ची न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 7-2-18 द्वारा बाद बादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। प्राची/बादी द्वारा इसके लगभग 3 वर्ष पश्चात्, बाद को रेटोर करने का प्रा. पत्र पेशा किया जो अच्ची न्यायालय द्वारा अपीलान्त आदेश दिनांक 10-03-21 द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध दस्तगत अपील पेशा इर्रा। अपीलान्त आदेश दिनांक 7-2-18 CPC के आदेश 9 नियम 3 के तहत पारित किया जाना प्रतीत होता है। अंतः CPC के आदेश 43 के प्रावधानों के तहत आदेश 9 नियम 3 की अपील का प्रावधान नहीं होने से अपील अपीलान्त संचारणीय नहीं है। आदेश 43(1)(ग) में आदेश 9 नियम 9 के तहत खारिज बाद को अपास्त करने के आवेदन को नामंजूर करने के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है, परन्तु आदेश 9 नियम 3 के लिए नहीं।</p> <p>अतः दस्तगत अपील संचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल नुमा होकर बाद गमील व तम्मिल दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सम्बन्ध अपील अधिकारी
बीकानेर